# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)**
**प्रकरण संख्या – 128/2017 अपील**

1. श्री रामपाल पिता गीला रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
2. रंगलाल पिता खेमा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. छोटु पुत्र देवी रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
2. मदनलाल पिता लादुलाल रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
3. रघुनाथ पिता लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
4. सम्पत्ति पिता लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
5. भागुती पिता लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
6. अलोल पिता लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
7. कमला पिता लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
8. सुरज बेवा लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
9. सुवालाल पिता गीला रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
10. उगमा पिता नगा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
11. दुर्गालाल पिता नगा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
12. उदा पिता नगा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
13. नन्दा पिता नगा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
14. हजारी पिता नगा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
15. गोपाल पिता मगना रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
16. नन्दा पिता मगना रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर
17. अर्जुनलाल पिता छोटुलाल रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर

–अपीलार्थी

– रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

**अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए. विरूद्व निर्णय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण सं. 5/2016 दिनांक 30.05.2017**

उपस्थित –
1. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री हिमांशु औझा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 08 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक 10.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामलें प्रकरण सं. 05/2016 निर्णय दिनांक 30.05.2017 के खिलाफ दिनांक 13.11.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 08 द्वारा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट सं. 9 से 17 के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसे तहसीलदार जहाजपुर ने विधि एवं तथ्यों के विरूद्व दिनांक 30.05.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब का समुचित अवलोकन नहीं किया । अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट दोनों ही एक ही परिवार के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं , जिससे भी धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हुए निर्णय पारित किया गया । रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा किस दिशा में अतिक्रमण किया गया हैं व किस व्यक्ति ने कितना कब्जा किया है। अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं व रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 08 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के समर्थन में न तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया व विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना भी नहीं की गयी । मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बनी एवं मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विधिवत भूमि का नाप चौक भी नही किया। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 8 की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं । रेस्पोडेण्ट सं. 09 से 14 के द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने से उन्हें रेस्पोडेण्ट के रूप में संयोजित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिवत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा उन्हे निर्णय की जानकारी नही दी । दिनांक 09.11.2017 को नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुयी । वक्त जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2017 को पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.11.2017 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 08 द्वारा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट सं. 9 से 17 के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसे तहसीलदार जहाजपुर ने विधि एवं तथ्यों के विरूद्व दिनांक 30.05.2017 को निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब का समुचित अवलोकन नहीं किया । अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट दोनों ही एक ही परिवार के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं , जिससे भी धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हुए निर्णय पारित किया गया । रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा किस दिशा में अतिक्रमण किया गया हैं व किस व्यक्ति ने कितना कब्जा किया है। अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं व

रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 08 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के समर्थन में न तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया व विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना भी नहीं की गयी । मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बनी एवं मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विधिवत भूमि का नाप चौक भी नही किया। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 8 की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं । अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिवत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2017 को पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व रिकार्ड में भूमि हमारे नाम है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करायी जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया । न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 05/2016 निर्णय दिनांक 30.05.2017 में प्रार्थीगण छोटु पुत्र देवी रेगर , मदनलाल, रघुनाथ, सम्पत्ति,भागुती, अलोल , कमला पिता लादु रेगर एवं सरजु बेवा लादु रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर **बनाम** अप्रार्थीगण सुवालाल पिता गीला रेगर , उगमा ,दुर्गालाल उदा , नन्दा , हजारी पिता नगा रेगर ,गोपाल, नन्दा पिता मगना रेगर ,अर्जुनलाल पिता छोटुलाल रेगर ,रामपाल पिता गीला रेगर , रंगलाल पिता खेमा रेगर निवासी दानपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दानपुरा पटवार हल्का गुढा तहसील जहाजपुर की कृषि भूमि आराजी सं. 123/1 रकबा 5.05 बीघा में से 3.07 बीघा पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया गया ।

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के प्रावधान निम्नानुसार हैं–**

**183 – ख अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिधारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली –** (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी (अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया हैं अथवा कब्जा बनाए रखा हैं, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिये जिसमें कि वह ऐसे कब्जें में रहा हैं , शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से पचास गुनी तक हो सकेगी । (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संक्षिप्त रूप में की

जायेगी ।

अपीलार्थीगण ग्राम दानपुरा तहसील जहाजपुर के आराजी नं. 123/1 रकबा 5.05 बीघा एवं आराजी नं. 123/3 रकबा 1.10 बीघा किता 02 रकबा 6.15 बीघा भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उक्त खातेदार की आराजी नं. 123/1 रकबा 5.05 बीघा में से 3.07 बीघा भूमि पर अपीलार्थी रामपाल पिता गीला रेगर एवं रंगलाल पिता खेमा रेगर निवासी दानपुरा वगैरह का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 07.09.2016 अनुसार अतिचार होने से तहसीलदार जहाजपुर द्वारा धारा 183 बी आर.टी.ए. के अन्तर्गत बेदखली के आदेश दिनांक 30.05.2017 को पारित किये गये । भू अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2016 के अनुसार अपीलार्थी अतिक्रमी है। बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट सं. 09 से 17 की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 05/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 उचित है। उक्त निर्णय में दखल करने के कोई आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव –

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 30.05.2017 को पारित निर्णय को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.05.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा